

राजबाला वर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के मुख्य सचिव
Rajbala Verma, I.A.S.
Chief Secretary to Government



झारखण्ड सरकार
राँची-834004, झारखण्ड
Government of Jharkhand
Ranchi-834 004, Jharkhand

पत्रांक २५०१ / दिनांक २९.१२.२०१६

सेवा में,

सभी उपायुक्त
झारखण्ड।

विषय : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन में पारदर्शिता स्थापित करने संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को पठन-पाठन की मुख्यधारा में सम्मिलित करते हुए विकास का उच्च स्तरीय अवसर प्रदान किया जा रहा है। इन विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन उनकी कोटि यथा— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं वैसे परिवार की बालिकाओं का चयन किया जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन हेतु समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है।

आप से यह अपेक्षा है कि आपकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इन विद्यालयों में आगामी होने वाले नामांकन में बालिकाओं की सूची का निरीक्षण सूक्ष्मता से किया जाए तथा जिले के सुदूरवर्ती / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों यथा— लोहरदगा जिले का पेशरार, लातेहार जिले का सरयू पश्चिम सिंहभूम जिले का गुदड़ी जैसे क्षेत्रों की बालिकाओं के चयन में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही आपके जिले में अवस्थित विद्यालयों में नक्सल प्रभावित, मानव तस्करी से प्रभावित एवं आदिम जनजाति समूह के बालिकाओं का नामांकन भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

उपर्युक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन लिया जाए एवं नामांकन के क्रम में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक सुनिश्चित करें कि उग्रवाद प्रभावित दूरस्थ क्षेत्र की अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय की बालिकाओं को प्राथमिकता देते हुए नामांकन सुनिश्चित किया गया है। कृपया उक्त निर्देश का अनुपालन अपने नेतृत्व में अभियान के रूप में करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजिका,

१०११
२९.१२.२०१६

(राजबाला वर्मा)



पत्रांक: GE/8/69/2011-12/ ७६५

दिनांक : २२.५.१५.

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना
झारखण्ड ।

विषय: कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के बालिकाओं के नामांकन के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसी सूचना मिल रही है कि जिलों द्वारा नामांकन में अलग-अलग प्रक्रिया अपनायी जा रही है। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों के राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी यह उजागर हुआ है कि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन मंगाए जाते हैं जिससे कि विद्यालय से बाहर या छिजीत बालिकाओं के नामांकन पर उद्देश्य केन्द्रीत नहीं हो पाता है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन से संबंधित निर्देश पूर्व में पत्रांक JEPC/SPD/966 दिनांक 06.08.2005, WDP/8/16/2005/388 दिनांक 15.05.2008 द्वारा निर्गत किए गए हैं। उक्त के आलोक में बालिकाओं के नामांकन में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना अवश्यक है :-

1. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु बालिकाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षित सीट का बँटवारा निम्नवत् है -

क्र.सं.	सामाजिक कोटि	बालिकाओं की संख्या
1	अनुसूचित जनजाति	प्रखण्ड का अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति	प्रखण्ड का अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत
3	पिछड़ा वर्ग	प्रखण्ड का पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक (मुस्लिम)	प्रखण्ड का अल्पसंख्यक (मुस्लिम) का जनसंख्या प्रतिशत

- शेष 25 प्रतिशत सीट गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार से होंगे।
- बालिकाओं के चयन हेतु संबंधित प्रखण्ड के सभी माता समितियों की बैठक संबंधित विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी जिसमें उन्हें कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की जानकारी दी जाएगी और बैठक के उद्देश्य से अवगत कराया जाएगा।
- माता समिति कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन हेतु बालिकाओं की सूची बाल/शिशु पंजी से प्राप्त कर या यदि उन्हें अनामांकित/छिजीत बालिका की जानकारी है तो समिलित करते हुए अनुसंशित सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।
- कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति गठित है जिसके सदस्य निम्नवत् होते हैं -
 - उपयुक्त-सह- अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी
 - राज्य परियोजना निदेशक के प्रतिनिधि



• जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उक्त समिति की बैठक आयोजित कर नामांकन सूची पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं तत्पश्चात् नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

5. संबंधित अभिभावकों को पत्र के माध्यम से चयन की सूचना देते हुए एक सप्ताह के भीतर नामांकन करा लेने का अनुरोध पत्र दिया जाएगा । चयन सूची विद्यालय के सूचना-पट्ट पर भी पदर्शित की जाएगी ।
6. किसी कारणवश यदि स्थान रिक्त रह जाता है तो उपायुक्त द्वारा अनुमोदित पैनल से वरीयता क्रम में नामांकन किया जाएगा ।
7. नामांकन हेतु प्रखण्ड के उन बालिकाओं को प्राथमिकता दिया जाना है जो सुदूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं । प्रखण्ड के नजदीक पंचायत में रहने वाली बालिकाएँ प्राथमिकता के क्रम में अन्तिम में होंगी । साथ ही छिजित बालिकाओं एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाये ।
8. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करना है एवं नामांकन हेतु बालिका से Transfer Certificate (TC) अनिवार्य नहीं होगी । नामांकन के समय प्रखण्ड का आवसीय प्रमाण पत्र जरूरी होगा । जाति प्रमाण पत्र उन्हीं मामले में जरूरी होगा जहाँ बालिका के नाम से उसके जाति का पता न चलता हो ।

इस संदर्भ में विशेष रूप से सूचित करना है कि प्रखण्ड के सभी विद्यालयों में बाल पंजी का संधारण किया जाता है, जिसमें विद्यालय से बाहर की बालिकाओं तथा छिजित बालिकाओं की सूची होती है । सहजता स्वरूप उक्त बाल पंजी में सूचीबद्ध 11 से 14 आयुर्वर्ग की बालिकाओं का कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन सामाजिक कोटि में सीट का बैंटवारा के आलोक में किया जा सकता है । इसके लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन, नजदीकी दो सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों की एक कमिटि का गठन किया जाए । यह कमिटि बाल पंजी के आलोक में सामाजिक कोटिवार रिक्ति के अनुसार बालिकाओं के नामांकन हेतु सूची अनुशंसित करेगा ।

नामांकन हेतु उक्त चरणबद्ध कार्यवाई तिथिवार निम्नवत् रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि छात्राओं का शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में कस्तुरबा विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जा सके -

क्र०	नामांकन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि/अवधि
0 1	विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में माता समिति के सदस्यों की बैठक	प्रत्येक वर्ष 25-30 जनवरी आयोजित किया जाएगा ।
0 2	माता समिति द्वारा अनुशंसित बालिकाओं की सूची प्रधान शिक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की तिथि ।	प्रत्येक वर्ष 5-10 फरवरी के बीच ।
0 3	प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, संबंधित कस्तुरबा विद्यालय के वार्डन एवं कस्तुरबा गांधी	प्रत्येक वर्ष 11-15 फरवरी के बीच ।



झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

चू कॉफरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची - 834 024

दूरभाष : 0651-2410509 / 2410519 / 2412028 / फैक्स : 0651 - 2410528

	विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्षा ।	
0 4	करस्तुरबा विद्यालय के वार्डेन द्वारा सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।	प्रत्येक वर्ष 16-17 फरवरी के बीच ।
0 5	उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति की बैठक का आयोजन ।	प्रत्येक वर्ष 18-25 फरवरी के बीच ।
0 6	जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसित सूची संबंधित करस्तुरबा विद्यालय को हस्तगत करने की तिथि ।	प्रत्येक वर्ष 1-5 मार्च के बीच ।
0 7	संबंधित करस्तुरबा विद्यालय के सूचना पट पर नामांकन हेतु अनुमोदित चयन सूची का प्रकाशन ।	प्रत्येक वर्ष 9 मार्च ।
0 8	संबंधित करस्तुरबा विद्यालय के वार्डेन के द्वारा चयनित बालिका के अभिभावक को आमंत्रित करना एवं घोषणा पत्र प्राप्त करना ।	प्रत्येक वर्ष 10-20 मार्च के बीच ।
0 9	करस्तुरबा विद्यालय में नामांकन की अवधि ।	प्रत्येक वर्ष 21-25 मार्च के बीच ।
1 0	नवनामांकित छात्राओं का विद्यालय में समारोह आयोजित कर खागत ।	प्रत्येक वर्ष 27 मार्च ।
1 1	नवनामांकित छात्राओं को छात्रावास आवंटन एवं नये सत्र के लिए उन्मुखिकरण ।	प्रत्येक वर्ष 28-30 मार्च के बीच ।
1 2	शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ ।	प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल ।

चूंकि चालू शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है अतः 2014-15 में नामांकन उक्त कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया जा सकता है । जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू सत्र (2014-15) में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है तथा जिस किसी करस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी हो तो इसे अनिवार्य रूप से 30.04.2014 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के आलोक में करस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

. ३०।-

(पूजा सिंघल)

राज्य परियोजना निदेशक


ज्ञापांक: GE/8/16/2011-12/ १८५

दिनांक... २२.५.१५.

- प्रतिलिपि:
- सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, सर्व शिक्षा अभियान, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित
 - सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
 - सभी वार्डेन, करस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय / सभी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(पूजा सिंघल)

राज्य परियोजना निदेशक



मुकेश कुमार, भा०प्र०स०
राज्य परियोजना निदेशक

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक: GE/8/69/2011-12 / २५१

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू-कॉर्पोरेटिव बिल्डिंग
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा
रोड़ी-834024

०६५१- २४१०५०९/२४१०५१९/२४१२०२८, Fax: ०६५१-२४१०५२८
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:- jepc.nic.in

दिनांक: ०२.०८.२०१७

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,
झारखण्ड ।


विषय : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं का चयन एवं नामांकन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह आवश्यक है कि समाज की जल्लरतमंद बालिकाओं का ही चयन इन विद्यालयों में हो । इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में जनप्रतिनिधियों की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावकारी होगी । इस तथ्य को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक ०४.०७.२०१६ को संपन्न ४६वीं बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई जिसका स्वरूप निम्नवत् है :-

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति ।
2. क्षेत्र के माननीय सांसद एवं क्षेत्र के माननीय विधायक ।
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी ।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ।
5. संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ।
6. संबंधित विद्यालय की वार्डेन ।
7. जिला बालिका शिक्षा प्रभाग प्रभारी ।

उक्त कोटि के विद्यालयों में नामांकन के संबंध में पूर्व में कई आदेश-निदेश निर्गत किए गए हैं । पुनः स्मारित करते हुए कहना है कि चयन समिति प्रखण्ड स्तर से प्राप्त सूची का विश्लेषण कर नामांकन में वैरी बालिकाओं को प्राथमिकता देंगे जो वास्तविक रूप से जल्लरतमंद हैं । कक्षा ६ से ८ में अतिरिक्त ५० बालिकाओं के नामांकन में आदिम जनजाति समूह की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी । जिला चयन समिति यह सुनिश्चित कर लें कि आदिम जनजाति समूह की छात्राओं का पूर्ण आच्छादन हो गया है एवं तत्पश्चात् ट्रेफिकिंग से प्रभावित बालिकाएँ, नक्सल प्रभावित बालिकाएँ एवं



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

मुकेश कुमार, माओप्र०से०

राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना पार्षद

न्यू-कॉर्पोरेटिव बिल्डिंग
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा
राँची-834024
0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:-jepc.nic.in

सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पलायन करने वाले व्यक्तियों/परिवार की सूची प्राप्त की जाए एवं नामांकन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को चिह्नित कर नियमानुसार उनका एवं नामांकन विद्यालय में किया जाये । नामांकन के संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा ज्ञापांक 2501/सी०एस० दिनांक 29.12.2016 से भी इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्गत है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

उपर्युक्त तथ्यों के अंतर्गत अनुरोध है कि निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार नामांकन के संबंध में अविलम्ब कार्रवाई प्रारंभ करते हुए दिनांक 30 मार्च, 2017 तक इसे पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए ताकि 01/04/2017 से बने सत्र की पढ़ाई आरंभ हो सके ।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार)
(मुकेश कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक